रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 1984/कार्तिक 28, 1906
No. 36] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 1984/KARTIKA 28, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1984

शुद्धि पत्र

आ. अ. 132(अ) :—आयोग की 15 अक्तूबर, 1984 की अधिसूचना संख्या 434/राज./84(1) के हिन्दी रूपान्तर में, (1) मद 7 "दौसा" के सामने "जिला मजिस्ट्रेट दौसा" के लिए "जिला मजिस्ट्रेट जयपुर", और (2) मद 15 के सामने "झालावाड़ (अ.ज.जा.)" के लिए "झालावाड़" पढ़ा जाए ।

[संख्या 434/राज./84(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 19th November, 1984

CORRIGENDUM

O.N. 132(E).—In the Hindi Version of Commission's notification No. 434|RJ|84(1) dated the 15th October, 1984, (i) against item 7 "Dausa" for "District Magistrate Dausa" read the "District Magistrate Jaipur"; and (ii) against item 15 for "Jhalawar (ST)" read "Jhalawar".

[No. 434|RJ|84(1)]

शुद्धि पत्र

आ. सं. 133(अ) :—आयोग की दिनांक 14 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 434/राज./84(2) में मद संख्या (3) और (4) के सामने "उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, गीरा" के लिए "उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, गिरवा" पढ़ा जाए ।

[संख्या 434/राज./84(2)]

आदेश से,

धर्मवीर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

CORRIGENDUM

O.N. 133(E).—In Commission's notification No. 434|RJ|84(2) dated the 14th November, 1984, against items (iii) and (iv) for "Sub-Divisional Magistrate, Gira" read "Sub-Divisional Magistrate, Girwa".

[No. 434|RJ|84(2)]

By order,

DHARAM VIR, Under Secy.

Election Commission of India

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984